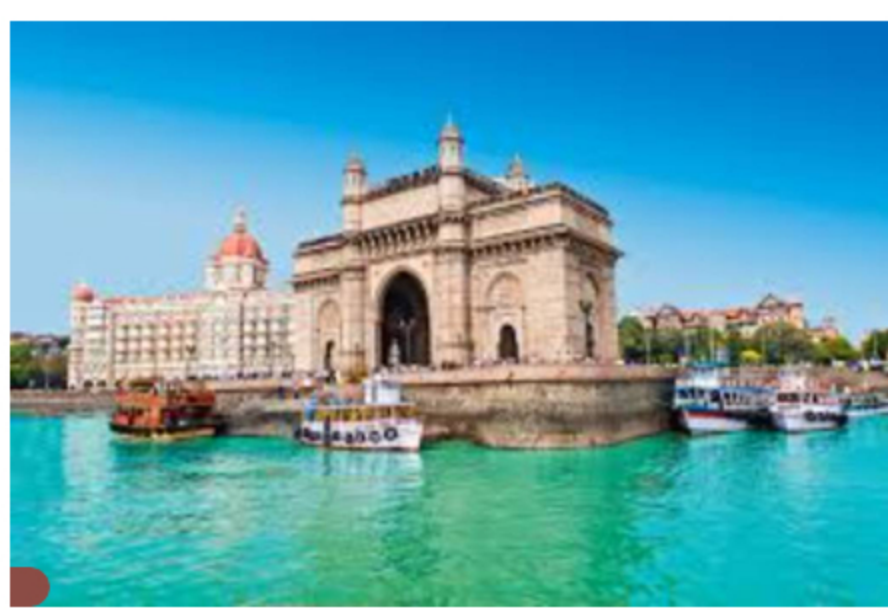




महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Sunday 21, December 2025 वर्ष - 9 , अंक 235 , पृष्ठ 03

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में 'नो-ड्यू' प्रमाणपत्र की जरूरत हटाई



अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे पेंशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ समय पर मिलेगा।

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के छह महीने पहले ही पेंशन प्रस्ताव लेखापाल कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि प्रक्रिया और भी अधिक व्यवस्थित हो। यदि कोई विभागीय जांच या देय संबंधी सूचना समय पर कार्यालय को नहीं दी जाती है, तो पेंशन प्रक्रिया तथ्या निर्बाध रूप से जारी मानी जाएगी। योजनाबद्ध प्रक्रिया का पालन न करने पर विभागीय अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी परेशानियों से मुक्ति दिलाने और सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकारी नियमों में ऐसे प्रमाणपत्रों का कोई प्रावधान नहीं है, बावजूद इसके विभागीय मांग जारी थी। अब वित्त विभाग के आदेश के अनुसार इन

BMC चुनाव | कांग्रेस ने BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया,

कांग्रेस ने BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, महा विकास आघाड़ी को बड़ा झटका

मुंबई | आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है और घोषणा की है कि वह *मुंबई के 227 वार्डों में चुनाव स्वतंत्र रूप से, महा विकास आघाड़ी (MVA) के समर्थन के बिना लड़ेगी। यह निर्णय कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक किया, जिससे महा विकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है।

चेन्नीथला ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व की मांग के अनुरूप कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है ताकि पार्टी अपनी पहचान को मजबूत कर सके और स्थानीय मुद्दों पर भरोसा कायम रख सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपने अकेले चुनाव अभियान के तहत सभी 227 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी



और पूरी संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। इस कदम के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी स्थानीय चुनावों में अपनी जड़ मजबूत करे तथा अपनी विचारधारा और एजेंडा स्वयं प्रस्तुत करे, बजाय किसी गठबंधन

के समर्थन पर निर्भर रहने के। चेन्नीथला ने कहा कि यह निर्णय महा विकास आघाड़ी के भीतर बढ़ते मतभेदों और रणनीति के भिन्न नजरिये को दर्शाता है, विशेषकर शिवसेना (UBT) और अन्य सहयोगियों के बीच गुटबंदी के बीच कांग्रेस का मानना है कि पार्टी के लिए

यह चुनाव खुद को नए सिरे से स्थापित करने और शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनाने का अवसर है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि वह अन्य धर्मनिरपेक्ष व प्रगतिशील दलों के साथ सहयोग कर सकती है, लेकिन मौजूदा महा विकास आघाड़ी गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने की योजना नहीं बना रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनावों के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्वतंत्र मैदान में उतरना भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी, 2026 को संपन्न होने वाले हैं, और परिणाम एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे।

दिव्यांग वधू-वरों के लिए खुशखबरी : ढाई लाख रुपये का अनुदान, तुकाराम मुंडे के फैसले से दिव्यांग पुनर्वसन को मजबूती



भारतीय समाज में आज भी दिव्यांग व्यक्तियों को, विशेष रूप से महिलाओं को, विवाह के संदर्भ में कई तरह के सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगता को अक्षमता मानने की गलत मानसिकता के कारण अनेक दिव्यांग व्यक्ति विवाह, पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिरता से वंचित रह जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने विवाह प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए दिव्यांग-अव्यांग विवाह के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तथा दिव्यांग-दिव्यांग विवाह के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान घोषित किया है।

इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत संपूर्ण राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। अनुदान की 50 प्रतिशत राशि को पांच वर्षों के लिए सावधि जमा में रखना अनिवार्य किया गया है, जिससे दिव्यांग दंपतियों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध UDID प्रमाणपत्र तथा विधिवत पंजीकृत विवाह आवश्यक होगा।

इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सलाहकार मंडल, दिव्यांग मंत्रालय, मुंबई के अशासकीय सदस्य साईनाथ पवार ने कहा कि, "सचिव तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की सच्चे अर्थों में अमलवारी शुरू हुई है। यह निर्णय केवल आर्थिक

सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिव्यांगों के आत्मसम्मान, पुनर्वसन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला है।"

योजना की अमलवारी जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। पात्र लाभार्थियों के प्रस्ताव आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे को भेजे जाएंगे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आवेदन उसी वर्ष निपटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को व्यवहार में उतारने वाला यह शासन निर्णय उनके सामाजिक पुनर्वसन और सम्मानजनक पारिवारिक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा 1 जनवरी की काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभराज्य सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन निर्धारण में होगा सुधार

मुंबई | महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके सेवानिवृत्तिवेतन (पेंशन) के निर्धारण में 1 जनवरी की काल्पनिक वेतनवृद्धि (Notional Increment) को मान्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने दिनांक 19 दिसंबर 2025 को शासन निर्णय (जीआर) जारी किया है।

यह निर्णय वित्त विभाग के शासन निर्णय क्रमांक वेतन-2023/प्र.क्र.13/सेवा-3 के तहत जारी किया गया है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लागू वेतनवृद्धि नियमों और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। पृष्ठभूमि और कारण सातवें वेतन आयोग के अनुसार, शासकीय कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई



या 1 जनवरी को दी जाती है। इससे पहले, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई की काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश 28 जून 2023 के शासन परिपत्रक द्वारा जारी किए गए थे। यह निर्णय औरंगाबाद खंडपीठ के उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर लिया गया था।

इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार ने 20 मई 2025 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी की

काल्पनिक वेतनवृद्धि देने की अनुमति दी। उसी धर्ती पर अब महाराष्ट्र शासन ने भी यह लाभ राज्य के कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। शासन निर्णय के मुख्य बिंदु

31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य शासकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी की काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य होगी। इस काल्पनिक वेतनवृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

28 जून 2023 के शासन परिपत्रक में दी गई सभी शर्तें और प्रक्रियाएं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित कर्मचारियों के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

लागू होने की तिथि महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जनवरी को वेतनवृद्धि देने की व्यवस्था सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से लागू है। इसलिए यह निर्णय भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।

डिजिटल उपलब्धता यह शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। इसका संकेतांक 202512191632383505 है और यह आदेश डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित है।

Maharashtra Nikay Chunav Result: महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों, नगर पंचायतों की आज होगी मतगणना, कितने बजे से आने लगेंगे नतीजे

मुंबई: महाराष्ट्र की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य पदों के साथ-साथ अलग-अलग नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कुल 143 सदस्य पदों के लिए शनिवार को मतदान सम्पन्न हो गया। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कुछ स्थानों पर बोगस मतदान, पैसों का लालच और मतदाताओं को बंद रखने के आरोपों से माहौल तनावपूर्ण रहा। वोटों की गिनती रविवार की सुबह 10 बजे शुरू होगी और और दोपहर बाद तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है।

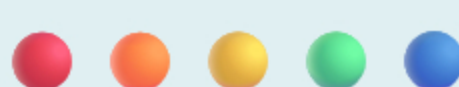
चुनाव आयोग के अनुसार, शाम साढ़े तीन बजे तक 47% मतदान की खबर दी है। सुबह मतदान

धीमी गति से चला लेकिन दोपहर बाद मतदाता मतदान के लिए बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले। नांदेड के धर्माबाद में महिलाओं को पैसों का लालच देकर मंदिर और मंगल कार्यालय में बंद रखने के आरोप लगे। अंबरनाथ में शिंदे गुट की शिवसेना पर बोगस मतदाता लाने का बीजेपी ने आरोप लगाया। इससे पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

कितने प्रतिशत मतदान? कोल्हापुर, कोपरगांव और बारामती में भी मतदान के दौरान विवाद और बोगस वोटिंग की घटनाएं सामने आईं। कुछ जगहों पर पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। बताया जा रहा है कि 67 प्रतिशत मतदान की संभावना है। गौरतलब

है कि राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को राज्य की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी।

आज होगी मतगणना 2 दिसंबर 2025 को 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ था। शेष स्थानों पर शनिवार को मतदान हुआ। सभी संबंधित नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। अनुमान है कि दोपहर बाद नतीजे आने लगेंगे। राज्य चुनाव आयोजन दावा किया कि मत गणना की तैयारी पूरी कर ली गई है।



नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



नांदेड़ग्राम टाइम्स
NO. 10, MAHARAJA ROAD
EDITOR: SHARAD JAIN AGRAWAL

Sunday 21, December 2025 वर्ष - 9 , अंक 235 , पृष्ठ 04



नांदेड़: लोहा पालिका मतदान में हाई-टेक सुरक्षा, वाई 5 में ड्रोन निगरानी

नांदेड़ के लोहा नगरपालिका चुनाव के तहत आज वाई 5 में फेरमतदान शांतिपूर्वक जारी है। प्रशासन ने किसी भी अनुचित घटना से निपटने के लिए पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग किया है, जिससे मतदान केंद्र और आसपास के इलाकों पर हवाई निगरानी की जा रही है। इससे भीड़ नियंत्रण और

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एंडिशनल पुलिस अधीक्षक समेत अन्य सुरक्षाबलों की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन का यह 'हाई-टेक' प्रयोग स्थानीय निर्वाचन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक वोटिंग शांतिपूर्ण रही और मतदाता बड़ी संख्या में अपना अधिकार प्रयोग कर रहे हैं। जांच-पड़ताल और व्यवस्था पर नजर बनाए रखते हुए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी रखी गई है।

धर्माबाद नगर परिषद चुनाव | नांदेड़ के धर्माबाद में चुनाव के दौरान हंगामा

पैसों के लालच में 100 से अधिक मतदाताओं को बंद रखने का आरोप, नांदेड़ के धर्माबाद में चुनाव के दौरान हंगामा

नांदेड़ | नांदेड़ जिले के धर्माबाद नगर परिषद चुनाव के दौरान एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर मतदाताओं को पैसों का लालच देकर एक मंगल कार्यालय में बंद रखने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना से पूरे धर्माबाद तालुका में राजनीतिक खलबली मच गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, धर्माबाद और मुखेड नगर परिषद के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक शुरू हुई थी। सुबह के सत्र में मतदान सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन इसी दौरान धर्माबाद शहर के बन्नाली क्षेत्र स्थित एक मंगल कार्यालय में 100 से 150 मतदाताओं को बुलाकर रोके जाने की बात सामने आई। आरोप है कि भाजपा उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को पैसे देने का वादा कर वहां एकत्रित किया और बाद में उन्हें बाहर नहीं जाने दिया।



इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ मतदाताओं ने खुद इसकी शिकायत की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंगल कार्यालय में बंद मतदाताओं को बाहर निकाला। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। एक महिला मतदाता कमलबाई भद्रे ने

आरोप लगाया कि उन्हें तीन दिनों से पैसे देने का आश्वासन दिया जा रहा था। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाम चार बजे तक पैसे देने की बात कहते हुए उन्हें मंगल कार्यालय में बंद रखा। कई अन्य मतदाताओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी सुरेशस्वामी ने बताया कि मामले की

जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रताप पाटील चिखलीकर ने भाजपा विधायक और उनकी पत्नी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा विधायक और उनकी पत्नी ने चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ा है, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। चिखलीकर ने आरोप लगाया कि सत्ता हाथ से फिसलते देख भाजपा गलत रास्तों का सहारा ले रही है और यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाली है।

फिलहाल, पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन की नजर इस संवेदनशील प्रकरण पर बनी हुई है।

मुंबई: फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर भारत पेट्रोलियम गैस डीलर से लगभग 1 करोड़ रुपये की ठगी



मुंबई: एक शख्स ने खुद को पुलिस कमिश्नर बताकर भारत पेट्रोलियम गैस (BPCL) के बड़े डीलर से लगभग 1 करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपी ने नकली पहचान और झूठे अधिकार दिखाकर डीलर को डराया और बड़ी रकम हड़प ली, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। घटना सामने आते ही पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी फर्जी दस्तावेज और पद का उपयोग कैसे कर रहा था और क्या इस धोखाधड़ी में और लोग शामिल थे।

पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में व्यवसायियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अधिकारी होने का दावा किया जाए तो तुरंत जांच करवाई जाए। जांच जारी है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, ताकि ऐसे घोर धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

कोकाटे के इस्तीफे के बाद राजनीति में उबाल, क्या मराठवाड़ा को फिर मिलेगा मंत्री पद?

नांदेड़: महाराष्ट्र में राजकीय हलचल तेज हो गई है क्योंकि माणिकराव कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे मराठवाड़ा को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कोकाटे के इस्तीफे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के भीतर मंत्री पद के लिए व्यापक चर्चाएं और कसरत शुरू हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है कि प्रतापराव चिखलीकर, राजू नवघरे और राजेश विटेकर जैसे नेताओं में से किसी एक को मंत्री पद का प्रस्ताव मिल सकता है। मराठवाड़ा के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र को कैबिनेट में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। विशेष रूप से नांदेड़ और हिंगोली जिलों को



मंत्रिपद में प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद जग रही है, क्योंकि इन जिलों को पिछली कैबिनेट विस्तार में नजरअंदाज किया गया था। इससे क्षेत्रीय नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह और राजनीतिक ऊर्जा दोनों देखने को मिल रही हैं। राज्य में आगामी स्थानीय

निकाय चुनावों के मद्देनजर यह राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। मराठवाड़ा में पदाधिकारी आवंटन के फैसले पर सभी की निगाहें अजित पवार पर टिकी हैं, जो अंतिम निर्णय लेंगे कि कौन से नेता को मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा और क्षेत्र को 'लाल दिल' यानी मंत्रिपद मिलेगा या नहीं।

नांदेड़ जिले में 50 भूमिहीन परिवार 'स्वाभिमान' योजना से बने किसान

नांदेड़ : जिले के भूमिहीन अनुसूचित जाति और नवबौद्ध समुदाय के मजदूर परिवारों के लिए सामाजिक न्याय विभाग की कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान एवं सबलीकरण योजना वरदान साबित हो रही है। बीते दो वर्षों में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के 50 भूमिहीन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। ये परिवार अब खेतिहर मजदूर नहीं, बल्कि अपनी जमीन के मालिक 'किसान' बन चुके हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दारिद्र्य रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन अनुसूचित जाति व नवबौद्ध शेतमजूर परिवारों को खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, जीवन स्तर सुधरे और वे सम्मान के साथ स्वावलंबी जीवन जी सकें। योजना के तहत जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे मजदूरी पर निर्भरता कम होती है।

प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक 50 लाभार्थियों को कुल 198 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से लगभग 173 एकड़ भूमि का वितरण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जबकि 2024-25 में 61 लाख 69 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना की खासियत इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि

भूमि खरीद के लिए लाभार्थी परिवार को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत हिस्सा बिन ब्याज ऋण के रूप में और शेष 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार कुल 100 प्रतिशत सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

कौन उठा सकता है लाभ? इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और नवबौद्ध वर्ग के भूमिहीन शेतमजूरों को दिया जाता है, जिनका नाम दारिद्र्य रेखा से नीचे की सूची में हो। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह महाराष्ट्र का निवासी हो, उसके या उसके परिवार के नाम कोई कृषि भूमि न हो तथा वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो।

आवेदन कैसे करें? इच्छुक पात्र लाभार्थी जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। कई बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इस संबंध में सहायक आयुक्त समाज कल्याण, नांदेड़ शिवानंद मिनगिरे ने कहा कि यह योजना भूमिहीनों के लिए अत्यंत लाभकारी है और पात्र जरूरतमंदों को आगे आकर इसका लाभ लेना चाहिए।

धर्माबाद नगरपरिषद चुनाव : इनानी मंगल कार्यालय की घटना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

संवाददाता |

नांदेड़, दि. 20 दिसंबर : धर्माबाद नगरपरिषद सार्वजनिक चुनाव-2025 के अंतर्गत आज 20 दिसंबर 2025 को मतदान प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान मीडिया के माध्यम से यह समाचार सामने आया कि धर्माबाद स्थित इनानी मंगल कार्यालय में मतदाताओं को कथित रूप से एकत्र कर रोका गया है।

इस खबर की गंभीरता को देखते हुए धर्माबाद की निर्वाचन निर्णय अधिकारी श्रीमती सुरेखा स्वामी तथा पुलिस निरीक्षक श्री सदाशिव बडीकर ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया जमावबंदी आदेश तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि हुई है।

निर्वाचन निर्णय अधिकारी श्रीमती सुरेखा स्वामी ने बताया कि संबंधित मंगल कार्यालय के संचालक के खिलाफ जमावबंदी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। मतदान प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगरपालिका प्रशासन के जिला सहायक आयुक्त, नांदेड़ ने इस संबंध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतदाताओं को स्वतंत्र, निर्भय और निष्पक्ष रूप से मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि कहीं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन दिखाई दे, तो तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। (स्रोत : जिला सूचना कार्यालय, नांदेड़)



कांग्रेस की मुस्लिम सीटों पर खतरा! नांदेड़ में AIMIM फिर सक्रिय

नांदेड़ : नांदेड़ महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में शहर का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। मुस्लिम बहुल वार्डों में अपना वर्चस्व बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं, एक समय कांग्रेस के गढ़ में संध लगाने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने दोबारा पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है।

वर्ष 2009 में नांदेड़ महानगरपालिका की एक सीट पर हुए उपचुनाव से AIMIM ने शहर की राजनीति में प्रवेश किया था। इसके बाद 2012 के चुनाव में AIMIM ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हराते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस अप्रत्याशित सफलता से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई थी। तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने

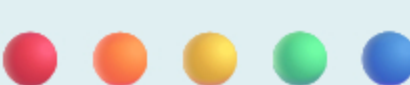
भी मुंबई में दिए अपने भाषण में AIMIM की इस जीत का उल्लेख किया था। मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM ने अपनी ताकत साबित की, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा।

हालांकि, 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण ने सटीक जातीय समीकरण साधते हुए कांग्रेस को फिर से मजबूत किया। मुस्लिम समाज को नेतृत्व देने की रणनीति के तहत अब्दुल सत्तार को महापौर बनाया गया। इसका असर यह हुआ कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 81 में से 73 सीटें जीतकर AIMIM के प्रभाव को काफी हद तक खत्म कर दिया। उस चुनाव में वार्ड क्रमांक 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 और 18 जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कुल 22 मुस्लिम पार्षद चुने गए थे।

लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। अशोकराव चव्हाण के भाजपा में

शामिल होने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मजबूत नेतृत्व की कमी खल रही है। अब्दुल सत्तार को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हुई है।

वर्तमान में मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस की जिम्मेदारी पूर्व महापौर अब्दुल सत्तार, पूर्व सभापति शमीम अब्दुल्ला और मसूद शेठ पर टिकी हुई है। दूसरी ओर, AIMIM ने कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए सक्रिय प्रयास शुरू कर दिए हैं। आगामी महापालिका चुनाव में कांग्रेस AIMIM की चुनौती को किस तरह रोकेगी, यह देखना राजनीतिक गलियारों में खासा दिलचस्प माना जा रहा है।



स्वाधिकारी नांदेड़ग्राम टाइम्स (नांदेड़) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व. जि. नांदेड़ में मुद्रित तथा दैनिक नांदेड़ग्राम टाइम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगरेश्वर मंदिर, नांदेड़-431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांदेड़ न्याय कक्षा में।)